न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–61 / 2022(जीसीएमएस नम्बर 2022 / 194)

1. गिरधारी पुत्र भगवान सहाय,
2. गिर्राज पुत्र भगवान सहाय,
3. मांगीलाल पुत्र गोरधन लाल,
4. विजयलक्ष्मी पत्नी नरसी,
5. हेमन्त पुत्र नरसी,
6. प्रियंका उम्र 17 वर्ष नाबालिंग पुत्री नरसी जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता विजयलक्ष्मी,
7. नेहा उम्र 16 वर्ष नाबालिंग पुत्री नरसी जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता विजयलक्ष्मी,
8. स्मिता उम्र 14 वर्ष नाबालिंग पुत्री नरसी जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता विजयलक्ष्मी,
9. केशर पत्नी चिरंजीलाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी भोजवाडा तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण शर्मा उर्फ लक्ष्मण पुत्र नारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भोजवाडा तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

3. कपूर पुत्र चिरंजीलाल,
4. रामस्वरूप पुत्र चिरंजीलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी भोजवाडा तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान।

––प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सतीश पारीक एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 16.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 411, 412, 420, 421, 362, 363, 403, 384, 415, 374, 413, 397, 409, 399 के खातेदार व काबिज काश्तकार है जो प्रकरण में पड़ौसी खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही विधि विरूद्ध व मनमाने तरीके से बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का व सबूत का अवसर दिये ही दिनांक 05.07.2022 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिया जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया, नियमों व न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने पडौसी खातेदारान अपीलार्थीगण को प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट्स के नाम व अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि का अंकन भी किया था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने भी कानून के विपरित जाकर अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार संयोजित किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का वाद भी प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त तथ्यों के बावजूद अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2021 का अंकन किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनाक 24.06.2022 का अंकन किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र व निर्णय में सीमाज्ञान रिपोर्ट का विरोधाभास होने के कारण अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील मंजूर फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम भोजवाडा जिला दौसा में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 19 पुराना 19 के आराजी खसरा नम्बर 362, 363, 384, 385, 402, 403 कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 हैक्टयर व खाता संख्या नया 23 पुराना 23 के आराजी खसरा नम्बर 375, 380, 381, 388, 389, 390, 391, 392 कुल किता 8 कुल रकबा 1.16 हैक्टयर व खाता संख्या नया 18 पुराना 18 आराजी खसरा नम्बर 331, 382, 383, 386, 387, 401, 408, 414, 417, 418, 419, 424, 425, 427, 428 कुल किता 15 कुल रकबा 3.1 हैक्टयर स्थित चली आ रही है तथा अपीलार्थीगण व अन्य के खसरा नम्बर 411, 412, 420, 421, 362, 363, 403, 384, 415, 374, 413, 397, 409, 399 है इनके मध्य पत्थरगढी के अभाव में आये दिन झगड़ा फसाद होता रहता है तथा पड़ौसी खातेदारो ने रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अतिक्रमण भी कर रखा है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में पुलिस थाना कोलवा में परिवाद भी प्रस्तुत किया था जिस पर विपक्षीयान द्वारा माफी मांगकर राजीरामा करके पत्थरगढ़ी करवाने का आश्वासन भी दिया गया था उसके उपरान्त भी अपीलार्थीगण आये दिन झगड़ा फसाद करने के प्रयास में रहते है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार काश्तकारान को

P.T.O.

अपनी आराजी एवं फसल इत्यादि की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के अधिकार कानूनन प्रदत्त है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने उन्ही अधिकारों के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक तौर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में अपीलार्थीगण की आराजी के खसरा नम्बर व अपीलार्थीगण के नाम इत्यादि का अंकन करते हुए व अपीलार्थीगण से विवाद होना दर्शित करते हुए अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी कराने की इश्तदुआ की गई थी जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिन खातेदारान (अपीलार्थीगण) से विवाद बताया गया था उन्ही खातेदारान (अपीलार्थीगण) को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नही बनाया गया और उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट मौजूद होने बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार संयोजित किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 पारित किया गया है जिससे अपीलार्थीगण के हित सीधे तौर पर प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

16/1/24

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/24

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।